

an>

Title: Introduction of the Prohibition of Indecent Advertisements Bill, 2015.

डॉ. किरिटी पी. सोलंकी (अहमदाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अभद्रता, अश्लीलता, हिंसक कार्य या संतुष वित्तुण वाले अश्लिऑट विज्ञापनों, जिनसे नागरिकों विश्लेऑकर, युवाओं के मन पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है और लोक नैतिकता को क्षति पहुंचती है, का प्रतिऑोध करने तथा उससे संबंधित या अनुऑांभी विऑाय का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to prohibit indecent advertisement depicting vulgarity, obscenity, violent actions or horror, which adversely affect the minds of the citizens particularly of the youth and injure public morality and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

डॉ. किरिटी पी. सोलंकी: उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

15.41 ½ hrs